

उपस्थिति-उपेन्द्र साह
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय
अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

जी0आर0 संख्या-2067 / 2006
(राज्य बनाम अम्बिका प्रसाद व अन्य)

न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी- तृतीय, अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

विचारण वाद सं0-215 / 2026

सी.आर.आई. संख्या-68 / 2015

जी0आर0 संख्या-2067 / 2006

गोविन्दगंज (मलाही) थाना कांड संख्या-121 / 2006

उपस्थित- **उपेन्द्र साह**

अपर मुख्य न्यायिक दण्डा0- तृतीय
अरेराज, पूर्वी चम्पारण

निर्णय की तिथि-22.07.2026

सूचक / अभियोजन	अम्बिका प्रसाद पिता- श्री हरेन्द्र प्रसाद, साकिन- चटिया टोला, थाना-गोविन्दगंज(मलाही), जिला-पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (बिहार)
अभियोजन की ओर प्रस्तुत	श्री कवलजीत शेखर भारती (विद्वान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी) श्री दीपक कुमार शर्मा (विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी)
अभियुक्तगण	1 अमरजित यादव, पिता- रामराज यादव 2. रामाश्रय बिन, पिता- स्व0 राजकुमार बिन 3. रामइकबाल यादव, पिता- सीताराम यादव 4. राजेन्द्र यादव, पिता- चनर यादव 5. सतेन्द्र यादव, पिता- स्व0 केसर यादव सभी निवासी- चटिया बहाड़पुर, थाना-गोविन्दगंज(मलाही), जिला-पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (बिहार)
अभियुक्तों की ओर प्रस्तुत	श्री विष्णु कांत मिश्रा (विद्वान अधिवक्ता)

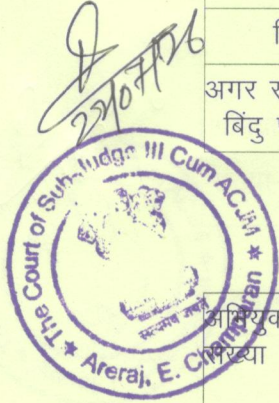


उपस्थिति—उपेन्द्र साह
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय
अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

जी०आर० संख्या—2067 / 2006
(राज्य बनाम अम्बिका प्रसाद व अन्य)

वाद में कार्यवाहियों का विवरण:

Proceeding	Date	Under Section
घटना की तिथि	22.09.2006	
प्राथमिकी की तिथि	23.09.2006	341, 323, 324, 447 504 / 34 भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम
आरोप-पत्र की तिथि	30.03.2007	341, 342, 323, 379, 504 / 34भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम
संज्ञान की तिथि	03.04.2007	341, 342, 323, 379, 504 / 34भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम
आरोप गठन की तिथि	03.09.2013	341, 342, 323, 379, 504 / 34भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम
निर्णय की तिथि	22-07-2026	
अगर सजा हुई तब सजा के बिंदु पर आदेश की तिथि	XXXX	



अभियुक्तगण का ब्यौरा

अभियुक्तगण का नाम	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तार होने की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धाराएं	रिहा हुआ अथवा दोषी	सजा दी गई	धारा 428 द.प्र.सं. के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताये गये अवधि
1	अमरजित यादव		07.12.07	341, 342, 323, 379, 504 / 34भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम	दोषमुक्त		
2	रामाश्रय बिन		04.01.08	341, 342, 323, 379, 504 / 34भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम	दोषमुक्त		
3	रामझकबाल यादव		07.12.07	341, 342, 323, 379, 504 / 34भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम	दोषमुक्त		
4	राजेन्द्र		26.12.06	341, 342, 323, 379,	दोषमुक्त		

उपस्थिति—उपेन्द्र साह
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय
अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

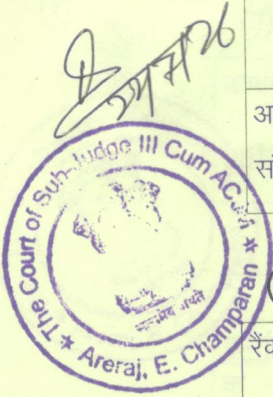
जी0आर0 संख्या—2067 / 2006
(राज्य बनाम अम्बिका प्रसाद व अन्य)

	यादव		504 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम			
5	सतेन्द्र यादव	07.12.07	341, 342, 323, 379, 504 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम	दोषमुक्त		

अभियोज / बचाव पक्ष / न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्षी

(क) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या संख्या-01	वैधनाथ ठाकुर	पक्षद्रोही साक्षी



(ख) बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
Nil	Nil	Nil

(ग) न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्षी

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
Nil	Nil	Nil

उपस्थिति-उपेन्द्र साह
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय
अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

जी0आर0 संख्या-2067 / 2006
(राज्य बनाम अम्बिका प्रसाद व अन्य)

अभियोज / बचाव पक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची

क. अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

(ख) बचाव पक्ष द्वारा प्रदर्श :-

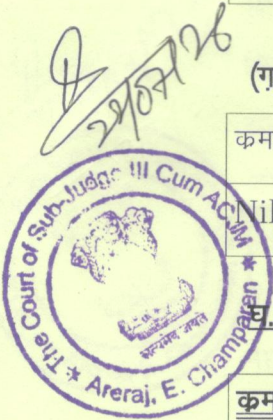
क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

(ग) न्यायालय प्रदर्श सूची -

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

घ. वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil



निर्णय:-

01. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामांकित सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0 द0 वि0 की धारा 341, 342, 323, 379, 504/34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्तों ने आरोप से इनकार किया तथा वाद विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान अभियुक्त

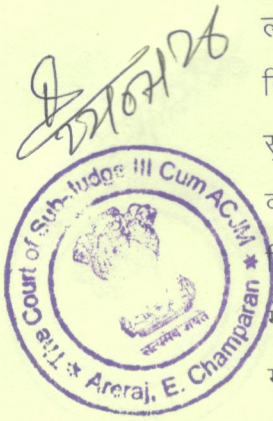
उपस्थिति—उपेन्द्र साह
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय
अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

जी0आर0 संख्या—2067 / 2006
(राज्य बनाम अंबिका प्रसाद व अन्य)

अंबिका यादव की मृत्यु हो गई, इस कारण इन मृत अभियुक्त के विरुद्ध वाद की अग्रिम कार्यवाही विचादण के दौरान ही समाप्त कर दी गई।

02. घटना के संबंध में संक्षिप्त कथन यह है कि सूचक दिनांक 22.08. 2006 का लगभग 6:00 बजे संध्या में मलाही बाजार स्थित विजय प्रसाद के आरा मशीन से 25000/रु लेकर अपने घर जा रहे थे। बरहरवा मठ के पास पूर्व से घात लगाए अभियुक्तगण हथियार से लैस होकर उन्हें घेर लिया, गाली गलौज एवं मारपीट की। अभियुक्त अंबिका यादव ने सूचक की जेब से 25000/रु एवं मोबाइल फोन तथा गले में पहना हुआ सोना का चेन लगभग 18000/रु की छीन ली। अभियुक्तों ने मोटरसाईकिल की चाभी भी छीन ली तथा सूचक को जबरन दियारा की ओर ले जाने का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी दी। हल्ला सुनकर बीच-बचाव करने आए रामेश्वर मुखिया के साथ भी अभियुक्तों ने मारपीट की तथा उनकी जेब से 3200/रु निकाल लिए। घटना के प्रत्यक्षदर्शी शंभू साह, मिथिलेश प्रसाद एवं अन्य ग्रामीण बातए गए हैं। घटना के बाद अभियुक्तगण हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना का करण जमीन संबंधी पूर्व विवाद एवं मछली पालन हेतु जमीन का पट्टा दिए जाने से उत्पन्न रंजिश बताया गया है।

03. सूचक द्वारा उपरोक्त आशय के दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध गोविन्दगंज (मलाही) थाना कांड संख्या 121/2006 दिनांक 23.09. 2006 को भा0 द0 वि0 की धारा 341, 342, 323, 379, 504/34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अपराध के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया। तत्पश्चात् तत्कालिक विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0 द0 वि0 की धारा 341, 342, 323, 379, 504/34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया तथा वाद अभिलेख दिनांक 03.09.2013, को अभियुक्तगण को पुलिस पेपर प्रदान करते हुए तत्कालिक विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा वाद अभिलेख निस्तारणार्थ तात्कालिक न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया।



10. अभियोजन साक्षी संख्या:-1 बैधनाथ ठाकुर- यह घटना 14-15 वर्ष पूर्व की है, नोटिस पर जानकारी हुआ है। दरोगा जी बयान नहीं लिए थे। सूचक मुखिया का चुनाव लड़ते थे चार बार हर गए हैं अम्बिका यादव मुखिया थे वह हार गए, राजेन्द्र यादव भी मुखिया थे। सूचक ने गलत केस कर के फसा दिए हैं। साक्ष्य के दौरान सूचक की घटना का समर्थन नहीं किए जाने के कारण अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

11. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का सारगर्भित बहस सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त का विचारण अन्तर्गत धारा 341, 342, 323, 379, 504/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप गठित किया गया है। उक्त आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पर यह दायित्व था कि वह विश्वसनीय एवं स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित करे कि अभियुक्तगण ने सूचक को अवैध रूप से रोका, उसके साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई, खतरनाक हथियार का प्रयोग किया, आपराधिक आशय से अनाधिकृत प्रवेश किया, जानबूझकर गाली-गलौज एवं अपमान किया तथा उक्त कृत्य साझा आशय से किए गए थे। इसी प्रकार धारा 27 शस्त्र अधिनियम के आरोप के लिए आरोपित शस्त्र के विधि-विरुद्ध प्रयोग को भी विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध किया जाना आवश्यक है।

अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के समर्थन में अभियोजन की ओर से मात्र एक साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या 1. वैधनाथ ठाकुर का परीक्षण कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में ही अभियोजन की घटना का समर्थन नहीं किया। इसक विपरीत, उसने कथन किया कि सूचक द्वारा अभियुक्तगण को गलत मुकदमा में फंसाया गया है। साक्षी ने कथित मारपीट, अवैध रूप से रोकने गाली-गलौज, आपराधिक अत्याचार अथवा शस्त्र के प्रयोग के संबंध में अभियोजन

उपस्थिति-उपेन्द्र साह
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय
अरैराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

जी0आर0 संख्या-2067 / 2006
(राज्य बनाम अम्बिका प्रसाद व अन्य)

के मामले की पुष्टि नहीं की। फलस्वरूप अभियोजन के अनुरोध पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किय गया है। किसी साक्षी के पक्षद्रोही घोषित हो जाने मात्र से उसका सम्पूर्ण साक्ष्य स्वतः अस्वीकार्य नहीं हो जाता, तथापि वर्तमान मामले में उनके बयान का कोई ऐसा विश्वसनीय एवं स्वीकार्य अंश उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध लाए गए आरोपों की पुष्टि हो सके। अभियोजन द्वारा कथित घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। यहां तक कि इस वाद के सूचक का भी साक्ष्य नहीं कराया गया, इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा आरोपों की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य, चिकित्सकीय साक्ष्य, जख्म प्रतिवेदन, कथित की बरामदगी, जब्ती सूची अथवा अन्य स्वतंत्र एवं पुष्टिकारक दस्तावेजी या भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः अभिलेख पर ऐसा कोई स्वतंत्र एवं ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण की संलिप्तता को विश्वसनीय रूप से स्थापित किया जा सके। आपराधिक न्यायशास्त्र का यह स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता है। दोषसिद्धि केवल आरोप, अनुमान अथवा संदेह के आधार पर नहीं की जा सकती। वर्तमान मामले में अभियोजन का एकमात्र परीक्षित साक्षी भी अभियोजन की घटना का समर्थन करने में असफल रहा है। तथा उसके अतिरिक्त आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

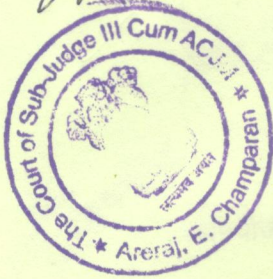
अतः उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 342, 323, 379, 504/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को साक्ष्य के अभाव के कारण संदेह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपस्थिति-उपेन्द्र साह
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय
अरेराज, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

जी0आर0 संख्या-2067 / 2006
(राज्य बनाम अम्बिका प्रसाद व अन्य)

-: आदेश :-

13. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस वाद के उपरनामित अभियुक्तगण नामतः 1. अमरजित यादव, पिता- रामराज यादव 2. रामाश्रय बिन, पिता- स्व0 राजकुमार बिन 3. रामझकबाल यादव, पिता- सीताराम यादव 4. राजेन्द्र यादव, पिता- चनर यादव 5. सतेन्द्र यादव, पिता- स्व0 केसर यादव। सभी निवासी- चटिया बहाड़पुर, थाना- गोविन्दगंज (मलाही), जिला-पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (बिहार) को धारा- 341, 342, 323, 379, 504/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है तथा इनके प्रतिभुओं को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।



लेखापित एवं संशोधित
Upendra Sah
22/07/2026
उपेन्द्र साह

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)
दिनांक:-22.07.2026

11. यह निर्णयादेश मेरे द्वारा शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं संशोधित
Upendra Sah
22/07/2026
उपेन्द्र साह

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)
दिनांक:-22.07.2026

Date of order	
Date of reserving order	
Uploaded date	
Uploaded by	